

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, (यांत्रिक), राँची/हजारीबाग,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 25-2-14

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड 49P470180789460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

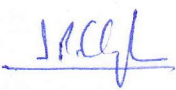
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 46 - सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड :- 49P470180789460543	136.25

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ छत्तीस लाख पचीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध रु. 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1, में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

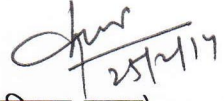

(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 25 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

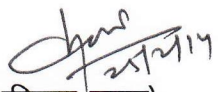
244

राँची, दिनांक :-

25-2-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग/बोकारो/तेनुघाट/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

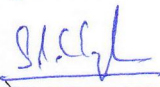
244

राँची, दिनांक :-

25-2-14

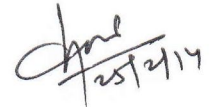
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव(अभि०)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 244

दिनांक २८-२-१५

का अनुलनक

परिशिष्ट - 1

1/2

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण

विपत्र कोड- 49P470180789460543

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध रु. 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		कार्य का विवरण	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	याँत्रिक प्रमंडल, बनासो	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	21.61482	14/13-14 प्र०स्वी० दिनांक-03.06.13	गोलाई वीयर योजना के क्रेस्ट शटर, बाँया एवं दाँया आउटलेट गेटे, प्लेट फर्म एवं रेलिंग के निर्माण/मरम्मति एवं अधिष्ठापन कार्य तथा विंच क्रेष मशीन की आपूर्ति एवं फिटिंग कार्य।	0.00	0.00	18.75	18.75	
योग							0.00	0.00	18.75	18.75	
2	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट	हजारीबाग	पुनर्स्थापन कार्य	102.982	48/13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 06.11.2013	तेनुघाट जलाशय योजना के डैम, स्प्रिंग संरचना से संबंधित विभिन्न अवयवों का अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य	0.00	0.00	30.00	30.00	
योग							0.00	0.00	30.00	30.00	

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध रु. 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		कार्य का विवरण	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन पूर्व का आबंटन	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग						
3	याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	13.73	33 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 14.09.2013	पलापू जिला अंतर्गत याँत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन सदावह वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में चार अदद Sluice एवं चार अदद H/R Gates का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य के साथ-साथ उत्तोलन प्रणाली एवं प्लेट फार्म का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य	0.00	0.00	11.00	11.00	
4	याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	23.49	38 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 24.09.2013	मलय जलाशय योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में Emergency एवं Service Gates की मरम्मत के साथ-साथ नहर के H/R एवं C/R गेटों को नया लगाने, उत्तोलन प्रणाली लगाने के साथ ही अन्य आवश्यक मरम्मत एवं सम्पोधन कार्य	0.00	0.00	19.00	19.00	
5	याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	5.545	42 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 21.10.2013	याँत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर, मेदिनीनगर अंतर्गत चोरडंडा वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में दो (2) अदद Sluice Gates एवं एक (1) अदद H/R गेट का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन के साथ ही Hoisting Platform के चारो तरफ Railing बनाने का कार्य	0.00	0.00	4.50	4.50	
6	याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	23.39	39 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 03.10.2013	याँत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर, मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन रामघाट वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में एक अदद H/R गेट एवं दो अदद Sluice Gate, उत्तोलन प्रणाली इत्यादि का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य	0.00	0.00	13.00	13.00	
7	याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	27.98	40 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 03.10.2013	लातेहार जिला अंतर्गत याँत्रिक प्रमंडल, मंडल शिविर मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन घाघरी वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में एक अदद H/R गेट एवं तीन अदद Sluice Gates, winch crab उत्तोलन प्रणाली इत्यादि का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य	0.00	0.00	10.00	10.00	
8	याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	20.88	34 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 14.09.2013	याँत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर मेदिनीनगर अंतर्गत बुटन डूबा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में दो अदद H/R गेट दो अदद C/R गेट का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन, नया उत्तोलन प्रणाली प्लेटफार्म एवं शेड का निर्माण कार्य	0.00	0.00	15.00	15.00	
9	याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर	याँत्रिक	पुनर्स्थापन कार्य	18.89	32 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 14.09.2013	जिन्जोई वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में 2 अदद H/R गेट का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य के साथ-साथ Hoisting Arrangement and Hoisting plat form का मरम्मत कार्य	0.00	0.00	15.00	15.00	
आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ छत्तीस लाख पचीस हजार मात्र।							योग	0.00	87.50	87.50	
							योग	0.00	136.25	136.25	

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौसिया)
उप सचिव(अभि०)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव